भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2985
जिसका उत्तर 26.03.2025 को दिया जाना है

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

2985 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश भर में समाधान के लिए लंबित दुर्घटना दावा मामलों की कुल संख्या तथा पांच वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे मामलों की संख्या राज्य-वार कितनी है;
(ख) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में काफी समय से लंबित दुर्घटना मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा संबंधित हितधारकों के साथ साझेदारी के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, और
(ग) क्या सरकार ने उपयुक्त कानूनी संशोधनों के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा दावा मामलों के तेजी से समाधान की सुविधा के लिए कोई अग्रसक्रिय कार्यनीति शुरू की है या लागू करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित करने, जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं का अधिकार देती है।

धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए किए गए आवेदन प्राप्त होने पर, दावा न्यायाधिकरण धारा 168 के तहत बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने के बाद और पक्षकारों (बीमाकर्ता सहित) को सुनवाई का अवसर देने के बाद, दावे की या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक दावे की जांच करेगा और धारा 163 के प्रावधानों के अधीन, मुआवजे की राशि का निर्धारण करते हुए अधिनिर्णय दे सकता है जो उसे उचित प्रतीत होता है और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें मुआवजा दिया जाएगा और अधिनिर्णय देते समय दावा न्यायाधिकरण वह राशि निर्दिष्ट करेगा, जो बीमाकर्ता या दुर्घटना में शामिल वाहन के मालिक या चालक या उनमें से सभी या किसी के द्वारा, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाएगी। दावा न्यायाधिकरण संबंधित पक्षों को अधिनिर्णय की प्रतियां शीघ्रता से और किसी भी मामले में अधिनिर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर देने की व्यवस्था करेगा। जब मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 168 के अंतर्गत कोई अधिनिर्णय दिया जाता है, तो वह व्यक्ति, जिसे ऐसे अधिनिर्णय के अनुसार कोई राशि देने की आवश्यकता होती है, दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर, अधिनिर्णय द्वारा निर्देशित तरीके से सम्पूर्ण राशि जमा कर देगा।

*****